

माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी,

प्रथम तल, निर्मल काम्पलेक्स मलदहिया, वाराणसी।

संशोधित प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष :-2025-26

क्र.सं	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं०-1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	महासचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO	समाजसेवा 9919500095
2.	श्री नागेन्द्र झा पुत्र स्व० कालीकान्त झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।	अध्यक्ष	समाजसेवा 9955072419
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्र श्री नागेन्द्र झा	प्लॉट नं०-1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा 979504848
4.	तान्त्र राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं०-1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा 7393928000
5.	श्रीमती बेली देवी पत्नी स्व० देव नारायण झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।	सदस्य	समाजसेवा 9811610457
6.	श्रीमती सोनू पाण्डेय पत्नी श्री सुधीर कुमार पाण्डेय	म०सं०-60 रामनगर, थाना बड़ागांव, पिण्डरा, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा 9755046000
7.	श्री विवान राजहंस पुत्र श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं०-1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा 9955072419

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक

हस्ताक्षर



बेली देवी

सीमा

जाकिर

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्ध समिति, माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी, वाराणसी

22/12/2025

प्रतिलिपि कर्ता

दिनांक

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AE 857441

प्रति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को
लोकपाल विभाग परावर्तित संख्या V-23280 के
निम्नलिखित प्रतिलिपि के लिए संलग्न।



कृते सहायक निबंधक
उप सहायक निबंधक एवं निदेश
वारणसी
15-4-2020

7336


आदेश के अनुसार म (कोलकाता)
वाणिज्य

15-6-20

गणेश प्रसाद जायसवाल
स्टाम्प डिपेंडेंसी
वाणिज्य कर कार्यालय, बेतगंज, वाराणसी
क्रम सं० 92/120/68/173
दि 27.10.1988 तक का समय मिलान है

आदेश के अनुसार म (कोलकाता) का कार्यालय में
08585-V का कार्यालय में कार्यालय में कार्यालय में
/ / कार्यालय में कार्यालय में कार्यालय में

आदेश के अनुसार म (कोलकाता)
वाणिज्य कर कार्यालय, बेतगंज, वाराणसी
क्रमांक 92/120/68/173
दि 27.10.1988 तक का समय मिलान है



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AE 857440

मह जगरल रजम प्रप सेव्या भाइकोटेक थपुकेरल
लोभाडी वाराणसी पत्रावली संख्या - V-23280 के
निमावली युतिलि के लया सेलम



कृत सहायक निबन्धक
उच्च कोर्टाटन एवं निवृत्त
15.7.2020

738

मन्त्री देव लखोवाल लोखरी
आदेश

12-6-20

शंकर प्रसाद जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता
राज्य कर कार्यालय, चेतगंज, वाराणसी
क्रम सं० 92/120/68/173
अं सं 69 15/07/14 एक व प्रथम दिनांक है

आदेश सं० 92/120/68/173 अं सं 69 15/07/14
शंकर प्रसाद जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता
राज्य कर कार्यालय, चेतगंज, वाराणसी

शंकर प्रसाद जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता
राज्य कर कार्यालय, चेतगंज, वाराणसी
06-06-20



संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : प्रथम तल, सी027/279 ए-2, निर्मल काम्पलेक्स मलदहिया, वाराणसी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

1. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु प्रोफेशनल एवं वोकेशनल, चिकित्सा/जैसे प्रौद्योगिक, शिक्षा एवं अभियंत्रिकी विज्ञान जैसे विषयों पर शिक्षा उपलब्ध कराना एवं अध्ययन के क्षेत्र में जन साधारण को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. कार्य क्षेत्र के निवासियों विशेष कमजोर वर्ग के लोगों का गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सर्वांगीण विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।
3. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु नर्सरी/प्राईमरी/जूनियर हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट / 10+2 यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त आदि विद्यालयों की स्थापना करना एवं स्नातक /स्नातकोत्तर/पोलिटैक्निक/ इंजीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज / स्टेट-यूनिवर्सिटी/ यू जी.सी./ ए0आई0सी0टी0ई0/ एम0सी0आई0/ सी0सी0 आई0 एम0/आयुष/ विश्वविद्यालय/रेग्यूलर/वर्चुअल/ कौशल विकास विश्वविद्यालय आदि जैसे संघीय निकायों को केन्द्रिय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर संस्थाओं की स्थापना करना तथा उसे सुचारु रूप से संचालित करना एवं विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रेगुलर एवं दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
4. अहिंसा तथा दोषमुक्त समाज की रचना करना, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।



[Handwritten signatures and initials]

सत्य प्रतिलिपि

कृते माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी
फर्म सोसाइटीज एवं विट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

[Handwritten signature]
15-7-2020

प्रतिलिपि कर्ता *[Signature]*
ज्ञान कर्ता *[Signature]*

5. बेरोजगार युवकों हेतु कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना एवं जो भी अभ्यर्थी नौकरी करना चाहते हो उन्हें नौकरी दिलाने का कार्य करना तथा जो उद्यमी बनना चाहते है उन्हें मदद करना।
6. गरीब एवं असहाय विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों के निशुल्क शिक्षण- प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सोसाइटी में पंजीकृत गरीब विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों को रहने के लिए हास्टल एवं खाने के लिए मेस का स्थापना करना एवं ड्रेस तथा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल एवं सेनेटाइजिंग की समय-समय पर व्यवस्था करना।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना।
8. संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रिय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, पी0एम0के0वाई0, डी0डी0यू0जी0के0वाई0, एन0एस0डी0सी0, कमाट, नाबार्ड, अवार्ड, सूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहार रोजगार योजना आदि एवं डी0आर0डी0ए0 वृक्षारोपण प्रदूषण नियंत्रण तथा अन्य सभी केन्द्र व राज्य सरकारी योजनाओं का भी संचालन करना।
9. ग्रामीण विकास के लिए गाव की सड़कें नाली, ग्रामीण शौचालय, पेय जल, बिजली की निर्माण, एवं व्यवस्था करने का प्रयास करना।
10. कृषकों के कृषि विकास हेतु कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
11. जनसंख्या वृद्धि एवं एड्स बचाव के लिए जनसमूदाय का समूचित जानकारी देना और प्रचार-प्रसार करना और निशुल्क संसाधन उपलब्ध कराना।
12. प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना करते हुये ग्रामीणों को रोजगार करने हेतु उत्साहित करना।
13. पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना तथा वृक्षों का रख-रखाव करना



सत्य प्रतिलिपि

कृषि सहायक निबन्धक

कर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कर्ता
विज्ञान कर्ता

14. नशावृत्ति में फसे युवकों के लिए नशामुक्ति अभियान चलाना तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।
15. वृद्धाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा वृद्धाआश्रम व विधवा आश्रम की व्यवस्था करना।
16. दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।
17. सिचाई के विभिन्न प्रकार के संसाधनों को कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
18. विकलांगों के लिए विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना तथा उसके पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंगों व निशुल्क उपकरण उपलब्ध करना।
19. अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना।
20. विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
21. दैविय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
22. बालक-बालिकाओं, यूवक-युवतियों के विकास, उत्थान व स्वावलम्बी हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई एवं सभी पेन्टिंग, टाईपिंग, आशुलिपि आदि की शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
23. ग्रामीण पुर्ननिर्माण हेतु सेनिटेशन, जलापूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्राम्य उत्थान सम्बन्धित अन्य सभी कार्यों को करने की व्यवस्था करना।
24. किसानों के कृषि हेतु उपयोगी वस्तुएं एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों की निःशुल्क जानकारी करना।
25. खाद्य प्रसंस्करण एवं गृह प्रबन्ध हेतु बालिकाओं एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।
26. जनसमुदाय को भयंकर बीमारियों जैसे- कैंसर, हेपेटाइटिस बी., एड्स, तपेछित, मोतियाबिन्द, पल्स पोलियों टीकाकरण एवं कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करना।



सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सासाइटीज एवं चिट्ठा
वाराणसी मण्डल

15-7-2020

प्रतिलिपि कर्ता: SA
विज्ञान कर्ता: SA

27. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
28. बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदुर जैसी समस्याओं के निवारण हेतु सेमिनार अनुसंधान अथवा शोध एवं मीडिया के माध्यम से जन-मानस को जागरूक करना।
29. जन समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, शिविर लगाना, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना तथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
30. खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए क्रीडास्थल की व्यवस्था करना।
31. समाज से तिरस्कृत महिलाओं, परित्यक्ता, बलात्कार, पीड़ित बेराजगार, महिलाओं एवं विधवाओं के विकासोत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा उनके लिए परामर्श केन्द्र की स्थापना, डे-केयर, शार्ट स्टे होम की व्यवस्था करना।
32. तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उसे संचालित करना।
33. मानवाधिकार से संबंधित कार्य करना।
34. उपभोक्ता के लिए सही मार्ग दर्शन देना, एवं उनके लिए शिविर लगाकर जागरूक करना एवं प्रशिक्षण देना।
35. संस्था के लिए दान एवं अनुदान व केन्द्रिय एवं राज्य सरकार की सरकारी / अर्धसरकारी वित्तीय संस्थानों, एन.एस.डी.सी., यू.जी.सी., एवं अन्य सभी बैंकों से ऋण प्राप्त करना जो कि संस्था के हित के लिए होगा।
36. संस्था को ऋण देने वाली बैंकों तथा एन.एस.डी.सी. जैसी संस्था को अधिकार होगा की अगर संस्था लोन चुक्ता नहीं करा पाये तो वह अपने किसी भी अधिकारी को संस्था में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति कर सकते है।









सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिटर्स
वाराणसी मण्डल

प्रतिलिपि कर्ता.....
जिज्ञान कर्ता.....

15.7.2020

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनकों संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	महासचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	सर्विस एवं सामाजिक कार्य 
2.	डॉ० पंकज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	अध्यक्ष एवं अधिसासी निदेशक	सर्विस एवं सामाजिक कार्य 
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्री श्री नागेन्द्र झाँ	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	सामाजिक कार्य 
4.	तान्या राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	छात्रा एवं सामाजिक कार्य 
5.	श्रीमती बेली देवी पुत्री स्व० देव नारायण झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	सदस्य	सामाजिक कार्य 
6.	श्री नागेन्द्र झाँ पुत्र स्व० कालीकान्त झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	सदस्य	सामाजिक कार्य 
7.	श्री शारदा शंकर पाण्डेय पुत्र स्व० रामधनी पाण्डेय	रामनगर, थाना - बड़ागाव पिण्डरा, वाराणसी।	सदस्य	सामाजिक कार्य शारदा शंकर पाण्डेय

सत्य प्रतिलिपि


कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि नं. 314
मिशन नं. 314

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता समिति को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

सं.	नाम/पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
2.	डॉ० पंकज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्री श्री नागेन्द्र झाँ	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
4.	तान्या राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
5.	श्रीमती बेली देवी पुत्री स्व० देव नारायण झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	
6.	श्री नागेन्द्र झाँ पुत्र स्व० कालीकान्त झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	
7.	श्री शारदा शंकर पाण्डेय पुत्र स्व० रामधनी पाण्डेय	रामनगर, थाना - बड़ागांव पिण्डरा, वाराणसी।	



सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-9-2020

प्रतिलिपि कर्ता.....
विज्ञान कर्ता.....

नियमावली

1. संस्था का नाम : माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : प्रथम तल, सी027/279 ए-2, निर्मल काम्पलेक्स मलदहिया, वाराणसी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : संस्था के सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु कर चुका हो संस्था के प्रति उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखता हो संस्था के उद्देश्यों के प्रति आश्वासन हो सदस्यता ग्रहण कर सकता है जिनकी सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति संस्था को 5000/- नगद धनराशी या उससे अधिक मुल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक बार देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति संस्था को 500/- रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप से जमा करेगा। वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगे।

विशिष्ट सदस्य : वह समाज का सम्मानित व्यक्ति हो। संस्था को सुचारु संचालित करने हेतु विशेष योगदान देवेंगे। संस्था के कार्यकारिणी समिति द्वारा विशिष्ट सदस्य मनोनित कर लिये जायेंगे।



सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक

फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15/12/2020

प्राधिकारित कर्ता : [Signature]
केन्द्रीय कर्ता : [Signature]

नोट:

1. प्रबन्ध समिति इस नियम को शिविल भी कर सकती है तथा सदस्य बनने की इच्छुक व्यक्ति की भावनाओं को परीक्षण कर उन्हें सदस्य बनने की स्वीकृति दे सकती है।
2. सदस्यता के लिए लिखित आवेदन पत्र देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा उसके स्वीकृत होने पर।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी:-

1. अवधि समाप्ति के एक माह के अन्दर सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
2. पागल या दिवालिया घोषित होने पर तथा किसी प्रकार नैतिक या व्यक्तिगत अपराध न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाने पर।



3. बिना सूचना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने, संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करने पर।

4. त्याग पत्र देने और कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति किये जाने पर।
5. मृत्यु हो जाने पर।

6. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे।

(अ) - साधारण सभा (आम सभा)

(ब) - कार्यकारिणी समिति (प्रबन्धकारिणी समिति)

7. साधारण सभा : अ-गठन-

संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. 4 के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा जिससे आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता 3 A
विज्ञान कर्ता

15-7-2020

ब- बैठके-

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महासचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि-

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी।

1. संस्था के सभी सदस्यों के पास नोटिस प्रतियाँ घुमवाकर तथा सूचना की प्राप्ति के प्रमाण पत्र स्वरूप सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना।

डाक द्वारा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर



छ- गणपूर्ति-

कैलेंडर वर्ष की 31 जनवरी को संस्था के रोल पर दर्ज कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के आभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

य- वार्षिक अधिवेशन-

संस्था को वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन संस्था के कापलिंग पर मनाई जायेगी।

र- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. वार्षिक बैठक में विगत 3 वर्ष का लेख प्रस्तुत करना एवं उसका अनुमोदन करना।

Handwritten signatures and initials in black ink.

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्ठे
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Handwritten signature and date:
15.9.2020

प्रतिलिपि कर्मा 318
खतान कर्मा

2. आगामी वर्ष का कार्यक्रम एवं बजट का निर्धारण करना।
3. कार्यकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों का चयन करना।
4. संस्था के हित में अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण करना
5. संस्था के समय-समय पर होने वाली तथा आवश्यक अनुदान सीमा बढ़ाने और उसके अनुसार हाइपोकेशन तथा इक्विटेबुल मार्गेंज की कार्यवाही में वृद्धि/परिवर्तन करना जो कि संस्था के हित में हो संस्था के हित के लिए चल व अचल सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार सिर्फ महासचिव को होगा।
6. खादी ग्रामीण उद्योग आयोग अथवा राज्य बोर्ड की निधी सुरक्षा हेतु उक्त कार्यवाही निस्पादित कर आयोग से ऋण प्राप्त करना।



1. यदि अक्षरों को ऐसे लेंगे की महासचिव विषय के अन्तर्गत अपेक्षित आम सभा की बैठक बुलाने में किसी वैध कारण से असफल रहता है तो वह स्वयं बैठक बुला सकता है।

2. कुल सदस्य संख्या में से 3 - 5 वें भाग के सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पर महासचिव / अध्यक्ष आम सभा की बैठक बुलाने में असमर्थ होने पर उपस्थित स्वयं ऐसे सदस्य को बैठक का संयोजक बनाकर अपेक्षित बैठक बुला सकते हैं।

8. कार्यकारिणी समिति अ- गठन:-

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के आलावा 4 सदस्य होंगे कुल मिलाकर 7 सदस्य होंगे।

Handwritten signatures and initials in black ink.

सत्य प्रतिलिपि

कृषि सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कक्षा 3/18
मिशन कक्षा

15-7-2020

ब- बैठके-

कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय की अनुमति से बुलाई जा सकती है।

स- सूचना-अवधि

कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना से 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द- गणपूर्ति -

कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति के आभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।



रिक्त स्थानों की पूर्ति-

कार्यकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

र- कार्यकारिणी समिति के आधार एवं कर्तव्य-

1. कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित समस्त प्रवृत्तियों का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं निर्देशन करना।
2. संस्था अपने प्रवृत्तियों में कच्चे माल के रूप में य विपणन में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रसारित नियमों का पालन अवश्य करेगी।
3. कार्य संचालन की सुगमता के लिए उपसमितियों का गठन करना।

(Handwritten signatures and initials)

कार्यकारिणी सहायक निबन्धक
कर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15/7/2020

प्रतिनिधि कक्षा 3/12
केन्द्रीय कक्षा

4. आय व्यय का रख-रखाव व वार्षिक हिसाब किताब तैयार करना।
5. संस्था के कार्यहित में हर प्रकार के वैधानिक कार्यवाहि करना।
6. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि अनुशासन कार्यवाही एवं वितुविन के बारे में निर्णय करना।
7. साधारण सभा के लिए किये गये निर्णयों का सिहावलोकन कर उचित कार्यवाही करना।

ल- कार्यकाल-

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों और उनके अधिकार एवं कर्तव्य



अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. साधारण सभा का प्रबन्धकारिणी की समिति की अध्यक्षता करना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्यों में से किसी को भी बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकता है।
2. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि करना तथा उसका निर्देशन करना।

महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक को नियमानुसार आहूत तथा बैठक की कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के प्रतिदिन के कार्य की देख-रेख करना।
3. आम सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन तथा मुक्ति आदि करना उसकी स्वीकृति कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सत्य प्रतिलिपि

कुल सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा
निबन्धन कक्षा

4. संस्था के कार्य से सम्बन्धित समस्त कागजात रखवाना, समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा मांगें गये प्रगति अहवाल भेजवाना, बैलेंसशीट तैयार करवाना, खादी ग्रामोद्योग को देनदान रहने तक प्रतिवर्ष अपने कार्य का प्रगति आलेख तथा आडिट बैलेंसशीट आयोग को देना।
5. संस्था के समस्त वैधानिक कागजात एवं दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। महासचिव की अनुपस्थिति में प्रबंधकारिणी समिति किसी भी व्यक्ति को यह फार्म सौंप सकती हैं।
6. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना।
7. संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी अदालती कार्यवाही महासचिव के माध्यम से की जायेगी।



संस्था के लिए सरकारी एवं अर्धसरकारी खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड के व्यक्तिगत प्रतिष्ठान एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना।

संस्था के महासचिव को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संस्था द्वारा संचालित संस्थानों से अपने मासिक वेतन का निर्धारण प्रबंध समिति की बैठक बुलाकर पास करा सकेंगे।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

कोषाध्यक्ष का कार्य खाता बही का लिखना व उसका परीक्षण / सी0ए0 करायेगा।

10. संस्था के विधान में :
संशोधन

इस संस्था के विधान में संशोधन एवं परिवर्तन साधारण सभा द्वारा इसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठक में 2/3 बहुमत से हो सकेगा। इसकी सूचना एवं पुष्टि के लिए संबंध में निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि रजिस्टार फर्मर्स सोसाइटीज एवं चिट्स को एक सप्ताह के अन्दर भेजनी होगी।

(Handwritten signatures)
सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता: 3/11
विलान कर्ता: 3/11

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वायव्य मण्डल वाराणसी
15/7/2020

11. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा, धनराशि जमा करने व निकालने का अधिकार केवल महासचिव एवं विशिष्ट सदस्य को होगा।
12. संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण : संस्था के वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च वार्षिक आय व्यय का लेख परिक्षण केवल महासचिव को होगा।
13. संस्था द्वारा अथवा उसके अदायगी कार्यवाही का उत्तरदायित्व : संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा।
14. संस्था का अभिलेख : संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे-



1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

15. संस्था का विघटन 1. यदि किसी कारण संस्था की गतिविधियाँ रूक गयी हो अथवा समाप्त की जानी हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अधीन विघटन की कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रबंध समिति एक सकल्प आम सभा की सिफारिश करेगी जो बदलने में 30 दिन की लिखित नोटिस देने के पश्चात संस्था विघटित करने हेतु निर्णय विशेष रूप से आयोजित बैठक में तीन चौथाई सदस्यों की सहमति लें।

सत्य प्रतिष्ठानि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-8-2022

प्रतिष्ठानि कर्ता.....
विज्ञाप कर्ता.....

